राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–181/2014

जगदीश मूण्ड

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील ग्रेज्युटी एवं अन्य देय परिलाभ पर ब्याज का भुगतान प्रत्यर्थी विभाग से दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति सिचांई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 02.08.1971 को हुई थी। इसके पश्चात् अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.05.2010 (अनुलग्नक–1) को हो गई है। सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच सीसीए नियम 16 में विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन प्रदान की गयी एवं उसकी ग्रज्यूटी एवं अन्य परिलाभ रोक लिये गये।
3. उसका अभिकथन है कि अपीलार्थी विभागीय जांच में दोषमुक्त पाया गया, जिसके सम्बन्ध में आदेश दिनांक 20.05.2013 (अनुलग्नक–3) है। अपीलार्थी का आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 की अनुशंषा पर पेंशन विभाग द्वारा जारी पेंशन व ग्रेज्यूटी के सम्बन्ध में पीपीओ एवं जीपीओ दिनांक

31.07.2013 (अनुलग्नक–4) को जारी किया गया। उसका अभिकथन है कि अपीलार्थी को विभागीय जांच में दोषमुक्त किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी पेंशन व ग्रज्यूटी की राशि का देरी से भुगतान किये जाने के फलस्वरूप 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी को उसकी रोकी गई ग्रज्यूटी की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज एवं अन्य देय परिलाभों पर ब्याज का भुगतान करावें।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण उसे प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गयी एवं ग्रेज्यूटी राशि रोकी गयी थी, जिसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमनें विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.05.2010 (अनुलग्नक–1) को हो गयी थी एवं अपीलार्थी के सम्बन्ध में पेंशन आदेश दिनांक 31.07.2013 (अनुलग्नक–4) के द्वारा स्वीकृत की गयी है। अभिलेख से स्पष्ट है कि कार्यालय आदेश दिनांक 29.10.2010 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को विभागीय जांच विचारधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 90 के अन्तर्गत प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गयी। बाद में अपीलार्थी को विभागीय जांच में आरोपों से मुक्त किया गया, जो आदेश दिनांक 20.05.2013 (अनुलग्नक–3) से प्रकट है। विभागीय जांच में दोषमुक्त होने के पश्चात् अपीलार्थी को पूर्ण पेंशन दिये जाने का आदेश दिनांक 31.07.2013 (अनुलग्नक–4) एवं ग्रेज्यूटी भुगतान का आदेश दिनांक 31.07.2013 (अनुलग्नक–5) है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 में निम्न प्रावधान है :–

> [89. Interest on delayed payment of retiral benefits-(1) [if the payment of retiral benefits has been authorised after 60 days from the date when its payments became due, and it is established that the delay in payment was not on account of failure on the part of the Government servant in compliance of the procedure laid down in this chapter or elsewhere in these rules, interest @9% per annum from the date retiral benefits become due would be payable till the end of

the month preceeding the month in which the retiral benefits are authorised.]

7. अतः उपरोक्त प्रावधानों से प्रकट होता है कि जहां पर सेवानैवृतिक लाभ 60 दिन बाद दिये गये हो और देरी कार्मिक की ओर से नहीं की गयी हो, ऐसी देरी के लिये 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान नियमानुसार कार्मिक को किया जावे। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के सेवानैवृतिक लाभ इसलिए रोक लिये गये थे, क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित थी। इसके उपरान्त अपीलार्थी को विभागीय जांच में दोषमुक्त कर दिया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति के समय, जो सेवानैवृतिक लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं, उसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत अपीलार्थी रोकी गयी ग्रेज्यूटी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि सेवानिवृति पर अपीलार्थी को देय ग्रेज्यूटी की, रोकी गयी राशि पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के तहत 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नियमानुसार भुगतान किया जावे।

9. उक्त आदेश की पालना तीन माह की अवधि में सुनिश्चित की जावे।

10. आदेश आज दिनांक 14.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)